भारतीय संस्कृति एवं वन्यजीव संरक्षण

इस धरती पर प्रत्येक जीव का जीवित रहना परमावश्यक है, क्योंकि ये सभी एक–दूसरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। वनों का हमारे सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में बहुत महत्व है। वन प्राकृतिक सम्पदा हैं। किसी भी राष्ट्र की अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए उसके भू भाग का 33 प्रतिशत भाग वनावृत होना चाहिए, जबकि भारत में 18 प्रतिशत भाग ही वनावृत है।

"परस्परोपग्रहोः जीवानाम्" अर्थात् सृष्टि का प्रत्येक जीव परस्पर एक दूसरे के उपकार के लिए है न कि घात के लिये। इसमें अतिश्योक्ति नहीं है कि ऋषियों के आश्रमों में सिंह और मृग निर्भयतापूर्वक एक साथ विचरते थे। अभी कुछ ही वर्षों पूर्व तक धौलपुर नरेश वन–विहार में वन्य पशुओं को अपने हाथ से खाना खिलाते थे। उनकी मोटर की आवाज सुनकर झुण्ड के झुण्ड वन्य पशु–पक्षी सड़क के किनारे एकत्र हो जाते थे। वन्य पशुओं के प्रति प्रेम एवं अभयदान का यह ज्वलन्त उदाहरण है। वन्य जीवों की उपयोगिता के कारण इनका संरक्षण भारतीय संस्कृति का विशिष्ट और अभिन्न अंग रहा है। अनेक पर्व–त्यौहारों पर हम इनकी पूजा–अर्चना भी करते हैं। मोर सरस्वती के साथ, सिंह महाकाली के साथ, बैल शिव के साथ, उल्लू लक्ष्मी के साथ, हाथी इन्द्र के साथ, चूहा गणेश के साथ पूजा जाता है।

भगवान स्वयं कई बार इन जीवों के रूप में प्रकट होकर भक्तों की रक्षा करते रहे हैं। ऐसे कई प्रमाण किस्से कहानियों में ही नहीं बल्कि शास्त्रों में भी मिलते हैं, जैसे नृसिंह अवतार, मत्स्यावतार आदि। हमारी संस्कृति शायद इसीलिए इतनी समृद्ध है कि हमने इनके अस्तित्व को स्वीकारा है। तभी तो हम बन्दर को हनुमानजी का प्रतीक, हाथी की सूंड को गणेशजी का प्रतीक मानकर श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं। यही नहीं, हम पर्वों और त्यौहारों पर भी इनके

महत्त्व को नहीं भूलते। नागपंचमी पर हम गोगाजी (सांपों) की पूजा करते हैं तथा पितृपक्ष में कौवों को भोजन खिलाते हैं।

अजन्ता की गुफाओं में भित्तिचित्रों में घोड़े, हाथी, हरिण आदि पशुओं तथा हंस आदि पक्षिओं के अनेक चित्र प्रदर्शित हैं। इससे स्पष्ट है कि वन्य जीवों के साथ लोगों का भावात्मक सम्बन्ध सदा से रहा है। बंगाल में आज भी हिन्दू और मुसलमान दोनों सम्प्रदायों के लोग शीतला माता की पूजा करते हैं जिसकी सवारी गधा मानी गई है। रामकृष्ण परमहंस, गांधी, राधाकृष्णन् जैसी अहिंसावादी नेताओं ने जीवों की सुरक्षा की सदैव ही वकालत की है।

तुलसी, पीपल, बड़, बेल आदि वृक्षों की पूजा भी की जाती है। ज्योतिषशास्त्र की बारह राशियों में कई राशियां पशुओं के नाम पर हैं। अशोक स्तम्भ पर वन्य जीवों की सुरक्षा के निर्देश भी मिलते हैं।

मानव के विकास में इन जीव–जन्तुओं के बलिदान को भी हम नहीं भूल सकते हैं। पृथ्वी से उपग्रह भेजने के प्रयोग में रुस ने कुत्ते का प्रयोग किया था। विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों में आज भी बंदर, चूहे, खरगोश, बिच्छु, मेंढक और न जाने कितने ही छोटे–मोटे जीव–जन्तुओं को काम में लाया जाता है।

अनेक पशु–पक्षी तथा कीड़े–मकोड़े, हमारी खेती तथा उद्यानों में फलों के निर्माण के लिये निरन्तर कार्य करते हैं। इस आधुनिक युग में अनेक वैज्ञानिक अन्वेषणों के लिये भी इनका काफी महत्त्व है। इसके अतिरिक्त इनके सींग, चर्म, पंख व पैर आदि व्यापारिक उपयोगिता रखते हैं। वन्य जीव हमारे सुरम्य वनों तथा पर्यटन–स्थलों की भी तो शोभा है। विदेशी पर्यटकों के आकर्षण से विदेशी मुद्रा का लाभ होता है। वस्तुतः सुन्दर एवं उपयोगी वन्य जीव प्रकृति की अमूल्य धरोहर हैं जिनके अभाव में हम अपने जीवन के मूल आधर– भोजन, वस्त्र एवं आवास से भी वंचित हो सकते हैं। अतः इन्हें यथावत रखने और अभिवृद्धि के साथ भावी पीढ़ियों के लिये सुरक्षित रखना हमारा परम–कर्तव्य है। बाँध बनाने एवं शहरीकरण में वनों को नष्ट करके आवासीय समस्या को दूर करना गलत है क्योंकि हम अपने ही हाथों से अपने पर्यावरण में असन्तुलन उत्पन्न करके अपने ही लिये संकट पैदा कर रहे हैं।

पृथ्वी पर तेजी से लुप्त हो रहे वन्य जीव–जन्तुओं के संरक्षण के लिए जितने भी प्रयास किये जा रहे हैं, ये अपर्याप्त है, और यही कारण है कि आज हमें हमारे पूर्वजों की पूरी जानकारी नहीं है। अगर हम विश्व धरातल पर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि हर संस्कृति के साथ वन्य जीव–जन्तुओं का जुड़ाव रहा है। यही नहीं, ईश्वर ने भी इन्हें अपना साथी माना है तभी तो प्रत्येक देवी देवता ने इन्हें अपना साथी माना है तभी तो प्रत्येक देवी देवता ने इन्हें सवारी के रूप में स्थापित किया ताकि मनुष्य इनके महत्त्व को नकार नहीं सके।

भारतीय संसकृति की तो इन वन्य जीव–जन्तुओं के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कारण स्पष्ट है – हमारे आध्यात्मिक जीवन के हर पहलू पर इनका पग–पग साथ रहा है।

क्या हमारा इन जीवों के प्रति कोई दायित्व नहीं है ? जरा सोचिए, जिन जीवों ने हमें मनुष्य कहलाने का गौरव दिया है उनके प्रति हम कितने वफादार हैं ? मनुष्य और जीव–जन्तुओं का आपस में इस प्रकार का सम्बन्ध है कि किसी एक के समाप्त होने पर प्रकृति का संतुलन बिगड़ जायेगा और मानव जाति घोर संकट में पड़ सकती है। यदि किसी भी जीव की प्रजाति नष्ट होती है तो प्रकृति के संतुलन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

अगर हम भौतिक सुख सुविधाओं, आमोद–प्रमोद व विलासिता के लिये छोटे और मूक जीवों का विनाश करने से नहीं हिचकते हैं, तो हमें भी सावधान हो जाना चाहिये स्वयं के अस्तित्व के लिए।

विशेषज्ञों का मानना है कि विश्व की बढ़ती जनसंख्या भी वन्य जीवों की संख्या कम करने में बहुत बड़ा कारण है। अब तक लगभग 150 जीवों का अस्तित्व एकदम समाप्त हो चुका है, जिनमें मॉरिशस का डोडा पक्षी तथा मेडागास्कर का हाथी पक्षी भी शामिल हैं। जनसंख्या के अलावा इन जीव–जन्तुओं की सुन्दर खाल, बाल आदि भी इनके दुश्मन हैं। इनके व्यापार के लिए इनका शिकार बहुतायत से होता है, जिससे लाखों रुपये की आमदनी प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के ऊनी वस्त्रों का उद्योग तो इनकी खाल व बाल पर ही आधारित है।

कब तक हमारे सुख के लिए इनका बलिदान करते रहेंगे ? आज मनुष्य को अपनी मानवता का प्रमाण देना होगा और इनके संरक्षण के लिए कुछ सोचना होगा ताकि हम हमारी संस्कृति '**जीओ और जीने दो**' का आदर्श रख सकें।

"**अहिंसा परमोधर्मः**" गांधीजी के इस मार्ग पर चलकर हमें वन्य जीव संरक्षण के कार्यक्रम में जुट जाना होगा, क्योंकि इस वैज्ञानिक युग में आधुनिक साधनों से सम्पन्न मनुष्य द्वारा वन्य जीवों का समूल विनाश हो रहा है। अतः भावी पीढ़ियों के लिये वन्य प्राणी केवल कल्पना मात्र ही रह जायेंगे। वनों तथा उनमें रहने वाले वन्य जीवों पर यदि मनुष्य का अतिक्रमण न हो और उन्हें अपने में स्वतन्त्र रखा जावे तो स्वतः प्राकृतिक सन्तुलन रहता है। क्योंकि वन्य जीव वनों से बाहर भी नहीं आयेंगे और उनसे कोई हानि भी नहीं होगी। इसे दृष्टिगत रखते हुए जो मध्यम उपचार आवश्यक है, उसके अनुसार वनों के मध्य कुछ वनखण्डों को सुरक्षित स्थल बना दिया जाता है। ऐसे स्थान को वन्य पशु–पक्षी विहार या संरक्षण स्थल कहते हैं। ऐसे स्थानों पर वन्य जीवों का आखेट सर्वथा

वर्जित होता है। इसके अतिरिक्त कुछ उन वन्य जीवों को, जो अब बहुत ही न्यून संख्या में रह गये हैं, सुरक्षित कर दिया जाता है। ऐसे जीवों को मारना सर्वत्र वर्जित होता है। विभिन्न जीवों का भिन्न–भिन्न प्रजनन काल होता है। प्रजनन काल में आखेट नहीं करने से भी ये सुरक्षित रहते हैं।

अतः वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण दूर करने तथा पारिस्थितिक संतुलन बनाये रखने हेतु अति आवश्यक है, ताकि मानव जाति का इस धरती पर अस्तित्व बना रहे।

आज देश में वन्य–जीवों की संख्या बहुत कम रह गयी है जिससे हमारी प्रकृति में परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे हैं। संतुलित पर्यावरण के लिए वन्य–जीवों की रक्षा वांछित है। यह दो प्रकार से हो सकती है–

1. दूसरे स्थान पर संरक्षण– जीवों को उनके मूल स्थान से हटाकर किसी उद्यान, चिड़ियाघर अथवा कृत्रिम गृहों में सुरक्षा प्रदान की जा सकती है।

2. स्व-स्थान में संरक्षण– इसके अन्तर्गत जीव–जन्तुओं को मूल प्राकृतिक स्थान पर ही संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। मूल स्थानों पर संरक्षण अधिक उपादेय है। चिड़ियाघर या अभ्यारण्य आदि में रखने से विभिन्न बीमारियां हो जाती हैं। उनकी स्वाभाविक जीवनचर्या में परिवर्तन के कारण उनके स्वभाव में विकृतियां आ जाती हैं। वन्य जीवों की प्रजाति लुप्त होने से उनका असर खाद्य–व्यवस्था पर भी पड़ता है।

वन्य जीवों की सुरक्षा एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है और विश्वव्यापी स्तर पर, वन्य–प्राणी जो विलुप्त हो रहे हैं उनकी सुरक्षा हेतु, 1962 में एक कोष की स्थापना भी की गई। लेकिन आशानुसार परिणाम नहीं आ रहे हैं। फिर भी भारतीय वनों की विपुल वैभवमयी इस धरती की उत्कृष्ट धरोहर के रूप में आज भी लगभग 500 नस्लों के वन्य–जीव मिलते हैं। भारत के विभिन्न भागों में पाये जाने वाले वन्य–जीवों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहेंगे। बबर शेर देश में गिर के जंगलों में ही पाये जाते हैं। गिर के सुरक्षित वनों में लगभग 200 बबर सिंह हैं। अब सिंह के बजाय बाघ (चीता) को 1972 से हमारा राष्ट्रीय पशु माना है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश में 50 वर्ष पूर्व 40 हजार बाघ वनों में रहते थे जिनकी संख्या अब घटकर भारत में लगभग 1827 ही रह गई है।

भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण के लिए सन् 1952 में वन्य प्राणियों को संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की गई और उसके द्वारा वन्य–जीवों की सुरक्षा हेतु प्रभावशाली कार्यवाही की गई और उनकी सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य–जीव अभ्यारण्य बनाये गये हैं। कालान्तर में 1972 में ऐसे वन्य पशुओं की एक लिस्ट तैयार की गई जिनकी

नस्ल के समाप्त होने की संभावनाएँ प्रबल होती जा रही थी। इस अधिनियम के अंतर्गत 70 स्तनपायी, 22 सरीसृप व उभयचर तथा 41 पक्षी प्रजातियों को सम्पूर्ण भारत में सुरक्षित घोषित किया गया। आज तक इस अनुसूची में 523 प्रजातियों को सम्मिलित किया जा चुका है।

❑❑